

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर - 222/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

## उनवान

- 1-3 कमला, कल्याण, जानी पिता लादु दरोगा निवासी डाबला तहसील बनेड़ा।
- 4- दिनेश पुत्र काना दरोगा निवासी डाबला तहसील बनेड़ा।
- 5- नन्दु पुत्री लादु दरोगा निवासी डाबला तहसील बनेड़ा।
- 6-7 बाबु, लाली पिता काना दरोगा निवासी डाबला तहसील बनेड़ा।
- 8- सीता पत्नी काना दरोगा निवासी डाबला तहसील बनेड़ा।
- 9- हेमराज पुत्र काना दरोगा निवासी डाबला तहसील बनेड़ा।

—प्रार्थीगण

## बनाम

- 1- कालु सिंह पुत्र छीतर सिंह राजपूत निवासी डाबला तहसील बनेड़ा।
- 2- नाथु सिंह पिता खमान सिंह राजपूत निवासी डाबला तहसील बनेड़ा।
- 3- महेन्द्र सिंह पुत्र भगवत सिंह राजपूत निवासी डाबला तहसील बनेड़ा।
- 4- भूमि विकास बैंक शाखा माण्डल जिला भीलवाड़ा।
- 5- तहसीलदार बनेड़ा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
अधिवक्ता प्रार्थी:- मुरारी जोशी

## निर्णय

दिनांक :- 11/12/2023

प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम डाबला पटवार हल्का डाबला भूअ.निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 73 के आराजी नम्बर 1623, 1644, 1648, 1649, 1650 कुल किता 5 रकबा 1.3658 है० भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पडौसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 ग्राम डाबला पटवार हल्का डाबला भूअ.निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 73 के आराजी नम्बर 1623, 1644, 1648, 1649, 1650 कुल किता 5 रकबा 1.3658 है० भूमि प्रार्थीगण के नाम

दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्तकृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

// आदेश //

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम डाबला पटवार हल्का डाबला भूअ.निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील बनेड़ा में स्थित खाता सं. 73 के आराजी नम्बर 1623, 1644, 1648, 1649, 1650 कुल किता 5 रकबा 1. 3658 है0 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक डाबला को 600/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति फ़्यात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे। अतः भू0अ0निरीक्षक डाबला जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे। आदेश की पालना अपील अवधि समाप्ति फ़्यात ही की जावे। अपील अवधि के भीतर आदेश की पालना नहीं की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-12-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(नेहा शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
बनेड़ा जिला शाहपुरा